रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1970/ज्येष्ठ 9, 1892

No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1970/JYAISTHA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May 1970

S.O. 1982.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely :—

In Table 3, against the entry "1. Andhra Pradesh" for the entries "(5) Two leaves and (6) Elephant" the entries "(5) Two leaves, (6) Elephant, (7) Boat and (8) Camel" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd May, 1970.

[No. 56/70 V.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1970

एस० ओ० 1982.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 56/69–2 (का० आ० 89) तारीख 4 जनवरी, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

सारणी 3 में, "आन्ध्र प्रदेश" प्रविष्टि के सामने की "(5) दो पत्तियां तथा (6) हाथी" प्रविष्टियों के स्थान पर "(5) दो पत्तियां, (6) हाथी, (7) नाव तथा (8) ऊंट" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और ये 23 मई, 1970 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी ।

[सं० 56/70-5]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970